भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1438
दिनांक 29 जुलाई, 2025 / 07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद में कमी

†1438. श्री दुलू महतोः

श्री विष्णु दयाल रामः

श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः

डॉ. निशिकान्त दुबेः

श्री करण भूषण सिंहः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

श्री जगदम्बिका पालः

डॉ. हेमांग जोशीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के वर्षों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से संबंधित घटनाओं में कोई उल्लेखनीय कमी देखी गई है;

(ख) क्या पूर्व आतंकवादियों के आत्मसमर्पण और पूनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकारों के साथ समन्वय से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर परिणाम सामने आए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो प्राप्त किए गए प्रमुख उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान या विगत वित्तीय वर्ष के दौरान झारखंड में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों में कोई पुनरुत्थान देखा गया है; और

(च) क्या वामपंथी उग्रवाद को बढ़ने से रोकने और स्थानीय प्रवर्तन क्षमता को मजबूत करने के लिए झारखंड को राष्ट्रीय वामपंथी उग्रवाद विरोधी योजनाओं के तहत कोई लक्षित सहायता प्राप्त हुई है ?

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1438, दिनांक 29/07/2025

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च):

- भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के विषय राज्य सरकारों के पास हैं। हालांकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में "वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" को मंजूरी दी थी। उक्त नीति के अंतर्गत एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई थी, जिसमें सुरक्षा के उपाय, विकासपरक हस्तक्षेप तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल था।

- सुरक्षा उपायों में, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी साझा करने, फोर्टीफाईड पुलिस स्टेशनों के निर्माण आदि प्रदान करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकार की सहायता करती है;

2014-15 से,

- सुरक्षा बलों के परिचालन व्यय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास, वामपंथी उग्रवाद हिंसा में मारे गए नागरिकों/शहीद सुरक्षा बल कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि आदि के लिए, सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को 3357 करोड़ रुपये (झारखंड - 830.75 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं।
- स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (SIS) के अंतर्गत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को राज्य के विशेष बलों, स्टेट इंटेलीजेंस ब्रांचेस (SIB), जिला पुलिस को सुदृढ़ बनाने और 71 फोर्टीफाइड पुलिस थानों (FPS) के निर्माण हेतु 1740 करोड़ रुपये (झारखंड - 439.45 करोड़ रुपये) के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1438, दिनांक 29/07/2025

- विकास उपायों में, भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अलावा, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कई क्षेत्रों में, सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर देने के साथ विशिष्ट पहल की गई है। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

  - सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, 02 एलडब्ल्यूई विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत सड़क आवश्यकता योजना (RRP) और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों (RCPLWE) के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना के तहत 17,589 किमी (झारखंड - 3168 किमी) को मंजूरी दी गई है। इनमें से 14,902 किलोमीटर (झारखंड में 2925 किलोमीटर) का निर्माण किया गया है।
  - वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, 10,644 मोबाइल टावरों (झारखंड - 1755) को प्लान किया गया है, जिनमें से झारखंड में 1589 टावरों सहित 8,640 टावरों को स्थापित किया जा चुका है।
  - कौशल विकास के लिए, 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और 61 कौशल विकास केंद्रों (SDC) को स्वीकृत किया गया है। इनमें से 46 ITI (झारखंड - 16) और 49 SDC (झारखंड - 20) कार्यात्मक हैं।
  - जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 258 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) स्वीकृत हैं, जिनमें से 179 EMRSs (झारखंड - 47) कार्यात्मक हैं।
  - वित्तीय समावेशन के लिए, डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 5899 डाकघर (झारखंड - 1240) खोले हैं। वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में 1007 बैंक शाखाएं (झारखंड - 349) और 937 एटीएम (झारखंड - 352) खोले गए हैं।
  - विकास कार्यों में तीव्रता हेतु, स्पेशल सैंट्रल असिस्टेंस (SCA) योजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में क्रिटीकल गैप्स को भरने के लिए राशि दी जाती है। 2017 में आरम्भ हुई इस योजना में अब तक 3,769 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसमें से झारखंड को 1439.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

- वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यों की अपनी आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीतियां हैं। 'आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास' नीति के माध्यम से, भारत सरकार द्वारा राज्यों के प्रयासों में सहयोग प्रदान किया जाता है और आत्मसमर्पण किए गए कैडर के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। पुनर्वास पैकेज में अन्य

बातों के साथ-साथ रुपये का तत्काल अनुदान शामिल है। उच्च रैंक वाले वामपंथी उग्रवादियों लिए 5 लाख और अन्य वामपंथी उग्रवादियों के लिए 2.5 लाख रुपये। इसके अलावा, योजना के तहत हथियारों/गोला-बारूद के साथ आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, 10000/- रुपये तीन साल के लिए मासिक वजीफे के साथ उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान भी प्रावधान किया गया है। राज्यों को आकर्षक समर्पण सह पुनर्वास नीतियां अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

- नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा और वामपंथी उग्रवादियों के प्रभाव क्षेत्र में निरंतर संकुचन हुआ है। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाएं और नागरिकों और सुरक्षा बलों की परिणामी मौतें, 2024 में क्रमशः 2010 के उच्च स्तर से 81% और 85% कम हो गई हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में भी तेज गिरावट हुई है और ये 2013 में 126 जिलों से घटकर अप्रैल 2025 में 18 जिले रह गए हैं।

- झारखंड के वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है। झारखंड में वामपंथी उग्रवाद की हिंसक घटनाओं की संख्या 2009 में 742 घटनाओं में से 92% घटकर 2024 में 69 घटनाएं हो गई। 1 जनवरी, 2024 से 15 जुलाई, 2025 तक, झारखंड में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित 103 हिंसक घटनाओं की सूचना दी गई थी, जिसमें 25 वामपंथी उग्रवादी मारे गये, 276 को गिरफ्तार किया गया और 32 ने आत्मसमर्पण किया था। झारखंड में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले भी 2013 में 21 से घटकर 2025 में केवल 02 हो गए हैं। हालांकि, वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव से बाहर आए जिलों को निरंतर सहायता के लिए 07 जिलों को Legacy & Thrust जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति तथा बुनियादी ढांचे में निवेश से तीव्र आर्थिक-सामाजिक विकास के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण हुआ है।

*****